तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त… अहकाम जो… हुक्म की त… में जारी…
10-12-19	वकील उभयपक्ष उप0 व अप्रार्थी सं0 1 व 8 की ओर से T.I. प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। T.I. प्रार्थना पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली दि0 13-12-19 को पेश हो।	
13-12-19	वकील उभयपक्ष उप0 हैं। उभयपक्षगण की भूमि ख.न. 285, 994/287, 283/982, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 452, 453, 454, 284, 286, 294/902 ग्राम धावा की तफसील हाल मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)	

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
85/2019	31.10.2019	13.12.2019

धनसिंह पुत्र रतनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी––प्रार्थी

बनाम

1. भरोसी पुत्र रामसहाय, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. रामचरण पुत्र लक्ष्मण, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. रामजीलाल पुत्र छोटेलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. रामधन पुत्र रामसहाय, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. रामराज पुत्र रामसहाय, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. रामेश्वर पुत्र रामसहाय, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. कैलाश पुत्र लक्ष्मण, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. बत्तीलाल पुत्र छोटेलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
9. रूमाली पत्नी रामरूप, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
10. लैण्ड होल्डर व उपपंजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी ––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री तरूण शर्मा,एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम,एडवोकेट अप्रार्थी सं0 1 ता 8 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 285 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 994/217 रकबा 0.14 है0 ग्राम छावा में जमाबंदी में प्रार्थी का हिस्सा दर्ज है। भूमि ख0नं0 283/982 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 288 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 289 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 290 रकबा 2.37 है0, ख0नं0 291 रकबा 1.66 है0, ख0नं0 292 रकबा 1.44 है0, ख0नं0 293 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 296 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 297 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 453 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 454 रकबा 0.21 है0 ग्राम छावा, ख0नं0 284 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 286 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 292/902 रकबा 0.50 है0 ग्राम छावा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण का हिस्सा जमाबंदी अनुसार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 9 की 1/10, 1/10 भूमि है। मौके पर भूमि पक्षकारान संयुक्त रूप से काश्त करते हैं तथा उसी अनुसार फसल से लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। अब परिवार बढ गये हैं तथा आये दिन कृषि को लेकर व प्रार्थी के खेत की सीमा को लेकर विवाद होता रहता है तथा संयुक्त रूप से भूमि काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। इस कारण प्रार्थी ने

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

भूमि का विभाजन करवाने हेतु अप्रार्थीगण से कहा तो पहले तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 टालते रहे, प्रार्थी अप्रार्थीगण के परिवार के सदस्य होने के कारण अप्रार्थीगण की बातो पर विश्वास करते रहे। अप्रार्थी संख्या 1 आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसका पूर्व मे आपराधिक रिकार्ड रहा है जिसे प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करते समय भरोसी के पास रूपये नही थे इस कारण प्रार्थी ने तीन लाख रूपये क्रय करने हेतु दिये जिस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि कुछ दिन मे राशि वापिस अदा कर देगा, जिसकी हॉमी उसने सुरेश राजपूत के सामने भरी है किन्तु अभी तक क्रय की राशि नही दी है और ना ही भूमि नाम करवाई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तीन वर्ष की कृषि की उपज का कोई हिसाब नही दिया गया है जिसका करीबन 20 लाख रूपया बनता है जो भी प्रार्थी को नही दिया है। भूमि का खातेदार लक्ष्मण फौत हो चुका है जिसके वारिसान कायम मुकान दो पुत्र रामचरण व कैलाश है जो सहखातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा भी दिनांक 19.7.19 को प्रार्थी व उसके परिवारजन से खेत मे काम करते वक्त हथियारो से लैस होकर मारपीट की गई जिसकी प्रार्थी द्वारा कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण खतरनाक व्यक्ति है तथा प्रार्थी सीधा साधा मजदूर पेशा व्यक्ति है जो कि प्रार्थी से व उसके परिवार से अकारण ईर्ष्या रखते है तथा प्रार्थी व उसके परिवार के लोगो व प्रार्थी के सरकारी अध्यापक भाई पर झूठे छेडछाड व मारपीट के मुकदमे दर्ज करा, प्रार्थी व उसके परिवारजन को जेल मे बंद कराने की फिराक मे है तथा इस कारण प्रार्थी का अप्रार्थीगण के साथ शामलाती रूप से काश्त करना संभव नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मीट्स एंड बाउन्डस से विभाजन करवाया जाना आवश्यक है। दिनांक 9.10.19 को जब प्रार्थी अपनी भूमि की सार सम्हाल कर रहा था तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकाते हुए कहा कि इस भूमि पर काश्त मत करना, इस पर प्रार्थी ने आपत्ति की एवं कहा कि यह मेरी खातेदारी की भूमि है तथा मै इस पर काश्त कर रहा हूँ तुम रोकने वाले कौन होते हो, इस पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये और कहा कि हमे ज्यादा कानून मत बता, हमारा लठ्ठ बहाल है। हम तुझे काश्त नही करने देगें फिर तू कोर्ट के चक्कर लगाते रहना। इस कारण यह टीआई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि के मूल वाद के निस्तारण तक भूमि के उपयोग उपभोग मे व कब्जे काश्त मे प्रार्थी को कोई बाधा ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि विवादित भूमि मे कैलाश, धनसिंह, बत्तीलाल, भरोसी, रूमाली, रामचरण, रामजीलाल, रामधन, रामराज, रामेश्वर प्रत्येक का 3/40 हिस्सा हैं। प्रार्थना पत्र के मद न0 2 मे 994/217 कोई खसरा नम्बर नही है, 994/287 है, इसी प्रकार ख0न0 292 का रकबा 1.14 है0 है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से उनके हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन कर दिया जावे, इसमे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 को कोई ऐतराज नही है। अप्रार्थीगण सीधे साधे व्यक्ति हैं, उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है ना ही उन्होने आज तक किसी से कोई लडाई झगडा किया है। भरोसी सीधा साधा व्यक्ति है उसका कोई आपराधिक रिकार्ड भी दर्ज नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास शामिल का कोई रूपया नही है, अप्रार्थी संख्या 1 के पास बीस लाख रूप्ये शामिल का होने का कथन गलत अंकित किया है। पक्षकारान के मध्य मीट्स एंड बाउन्ड्स से विवादित भूमि का बंटवारा कर दिया जावें। बंटवारा करने मे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही है लेकिन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 प्रस्तुत की हैं एवं बहस के दौरान नकल इस्तगासा धारा 107 जा0फौ0 भी प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा है जिसके कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण प्रार्थी को बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को भूमि के विभाजन किये बिना भूमि के रहन वय नही करने हेत एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण भूमि में सहखातेदार हैं और सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है ना ही उसके हिस्से तक की

उप जिला कलेक्टर
गंगापुरसिटी (स०मा०)

भूमि के रहन वय से रोका जा सकता है। इसलिए प्रार्थी की अस्थाई निषेधाज्ञा दर0 खारिज फरमाई जावे।

बिकटल में प्रार्थी के विद्वान वकील ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 1995 पेज 207, आर.आर.डी. 1995 पेज 522, आर.आर.डी. 1995 पेज 523, आर. आर.डी. 2010 पेज 96, आर.आर.डी. 1995 पेज 717 प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि विवाद के मामले मे भूमि के विधिवत बटवारा होने तक सहखातेदार को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। उपरोक्त प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया। अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख एवं न्याय दृष्टान्तो का अध्ययन व अवलोकन किया। फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण उसे कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न कर रहे है जबकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा करने की बात कह रहे है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत फोटो कॉपी नकल इस्तगासा उनवानी सरकार बनाम धनसिंह व रामेश्वर वगैरा अन्तर्गत धारा 107–151 सीआर.पी.सी. के अवलोकन से विदित है कि पक्षकारो के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर मौके पर विवाद हो चुका है एवं पक्षकारो को धारा 151 सीआर.पी. सी. के तहत पुलिस अभिरक्षा मे इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। जिन्हे शांति बनाए रखने हेतु इस न्यायालय से छः माह के लिए पाबंद भी किया गया है। ऐसी स्थिति मे हमारी राय मे दोनो ही पक्षो को वादग्रस्त भूमि की मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि उभपक्षकारान भूमि ख0नं0 285 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 994/287 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 283/982 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 288 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 289 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 290 रकबा 2.37 है0, ख0नं0 291 रकबा 1.66 है0, ख0नं0 292 रकबा 1.14 है0, ख0नं0 293 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 296 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 297 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 453 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 454 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 284 रकबा 0.64 है0,

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

ख0नं0 286 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 292/902 रकबा 0.50 है0 ग्राम छाबा की ताफैसला दावा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.24 12:23:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: